दिनांक 30.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 39 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह सम्पन्न

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 30.08.2024 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारी श्रीमती राकेश पुष्कर पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे उ0प्र0 लखनऊ, मो0 नेजाम हसन पुलिस अधीक्षक नियम एवं ग्रन्थ उ0प्र0 लखनऊ एवं डा0 श्रीप्रकाश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक पॉवर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ को मोमेन्टो भेंट किया गया तथा उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी।

श्रीमती राकेश पुष्कर जी का जन्म 25 अगस्त 1964 को जनपद इटावा में हुआ था। वर्ष 1994 में ''प्रान्तीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुयीं। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक जनपद उन्नाव, सीतापुर, आगरा, खीरी, पीटीसी सीतापुर, सहायक सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी, जेडओ अभिसूचना आगरा, सीतापुर के पदों पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2005 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर उप सेनानायक 10 वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी, अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच, उन्नाव, सीतापुर, यातायात वाराणसी, आर्थिक अपराध संगठन मुख्यालय लखनऊ एवं उप सेनानायक 34 वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के पदों पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2018 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध संगठन मुख्यालय लखनऊ, सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2024 में ''पुलिस उप महानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उप महानिरीक्षक सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ के पद पर नियुक्त हुयीं। वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं जहाँ से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रही हैं।

मो0 नेजाम हसन जी का जन्म 02 अगस्त 1964 को दरभंगा (बिहार) में हुआ था। वर्ष 1995 में ''प्रान्तीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महराजगंज, प्रतापगढ़, जालौन, बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, एसीओ लखनऊ, सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, पावर कार्पोरेशन लखनऊ, सहायक सेनानायक 20 वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ व 32 वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक पॉवर कार्पोरेशन लखनऊ, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, यातायात लखनऊ एवं अपर पुलिस अधीक्षक मक्का एवं मदीना (सउदी अरबिया) के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2019 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक/उप निदेशक यातायात लखनऊ व मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पदों पर नियुक्त रहे। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, नियम एवं ग्रन्थ, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं जहाँ से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

डा0 श्रीप्रकाश द्विवेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1964 को जनपद सुलतानपुर में हुआ था। वर्ष 1999 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक जनपद बदायूँ, कानपुर देहात, मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ, महामायानगर, मेरठ, चन्दौली, बुलन्दशहर, एसीओ मुख्यालय लखनऊ, सहायक सेनानायक 23वीं वाहिंनी पीएसी मुरादाबाद के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर जनपद कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, झांसी, प्रतापगढ़, पीएसी स्पेशल बटालियन लखनऊ, तकनीकी सेवायें लखनऊ, यातायात निदेशालय लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2021 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक पावर कारर्पोरेशन, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं जहाँ से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनपद झाँसी/थाना मोठ

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट/चोरी के सोने–चांदी के आभूषण**
- **लूट के 08 हजार 980 रुपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 दोपहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.08.2024 को थाना मोठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमरी हाईवे बस स्टैण्ड के पास पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त 1–गोकुल उर्फ मोनू 2–जितेन्द्र उर्फ गोलू 3–गुलाब 4–समीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के सोने–चांदी के आभूषण, लूट के 08 हजार 980 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 दोपहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोठ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये, आभूषण लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मोठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गोकुल उर्फ मोनू निवासी मोहल्ला इटवा दरवाजा कस्बा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी।

2–जितेन्द्र उर्फ गोलू निवासी मोहल्ला बागवानपुरा कस्बा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी।

3–गुलाब निवासी मोहल्ला नजरगंज बस स्टैण्ड कस्बा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी।

4—समीर निवासी मोहल्ला नजरगंज बस स्टैण्ड कस्बा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी।

बरामदगी

1— लूट/चोरी के सोने—चांदी के आभूषण।

2— लूट के 08 हजार 980 रुपये नगद।

3— घटना में प्रयुक्त 02 दोपहिया वाहन।

4— 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना भोगांव

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत के 10 किलो अवैध चरस**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 कार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.08.2024 को थाना भोगांव व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासगंज रोड झालपुल आलीपुर खेड़ा के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1— विमल 2— विवेक कुमार 3— अनुज कुमार 4— सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत के 10 किलो अवैध चरस, 04 मोबाइल फोन, 01 कार, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना भोगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— विमल निवासी छोटी पुलिया देहली सूजानपुर थाना चकेरी, कानपुर नगर ।

2— विवेक कुमार निवासी फैजलगंज थाना फैजलगंज, कानपुर नगर ।

3– अनुज कुमार निवासी कोयला नगर थाना रामादेवी कानपुर नगर ।

4– सौरभ निवासी श्यामनगर थाना चकेरी कानपुर नगर ।

बरामदगी

1– लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत के 10 किलो अवैध चरस ।

2– 04 मोबाइल फोन ।

3– 01 कार ।

4– 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 355 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद**

दिनांक 29/30.08.2024 की रात्रि थाना पटहेरवा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम महुअवा काटा कट एनएच – 28 के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 355 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कैलाश निवासी कुचिया मठिया खास टोला थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1– लगभग 20 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 355 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2– घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

कमिश्नरेट आगरा/थाना फतेहाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त कैन्टर**
- **नगद रुपये आदि बरामद**

दिनांक 30.08.2024 को थाना फतेहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 200 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त कैन्टर, नगद रुपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– राहुल निवासी विन्दाय थाना विन्दाय जनपद जयपुर, राजस्थान ।

बरामद

1– 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ।

2– घटना में प्रयुक्त कैन्टर ।

3– नगद रुपये आदि ।

- **जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/328/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गुरूदेव 2–अमरजीत उर्फ मोनी 3–कमलजीत उर्फ टोनी 4–वीरेन्द्र उर्फ लंबू 5–अरविन्द 6–जयव्रत को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना बिलसंडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना बिलसंडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विमल कुमार को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना भीमपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना भीमपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हरिवृन्द को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———